कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।

पत्रांक 5138/14–1 ,आगरा, दिनांक, 09 ,मई, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– आगरा में अबन्तीबाई चौराहे से रोहता नहर तक (आगरा–ग्वालियर मार्ग का शहरी मार्ग) का लोक निर्माण विभाग द्वारा 6 लेन चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु 2.45 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ :– आपके कार्यालय का पत्रांक 1139/आगरा/24614/2017 दिनांक 24.10.2017 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा का पत्रांक 4965/14–1 दिनांक 28.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों का प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुए है, जिसके आधार पर बिन्दुवार आपत्तियों का निस्तारण निम्नवत् है :–

आपत्ति	आपके कार्यालय की आपत्ति	आपत्ति का निस्तारण
1.	प्रस्ताव के साथ संलग्न किसी भी अभिलेख पर प्रयोक्ता एजेंसी की ओर से सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ तिथि एवं नाम अंकित नही है। अंकित करें।	प्रस्ताव पर प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ तिथि तथा नाम अंकित कर दिया गया है।
2.	प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लंघन की स्थिति व संस्तुति अंकित नही की गयी है।	प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लंघन की स्थिति व संस्तुति कर दी गयी है।
3.	प्रस्ताव के अवलोकन से विधित होता है कि कैन्ट क्षेत्र में प्रभावित 1.68 है0 भूमि गैर वनभूमि है, किन्तु प्रस्ताव के साथ संलग्न सूची एवं ऑनलाइन पार्ट–2 पर कैन्ट क्षेत्र में प्रभावित उक्त 1.68 हे0 गैर वनभूमि पर अवस्थित एवं पातन होने वाले वृक्षों का विवरण भी अपलोड किया गया है, जो सुसंगत नही है।	प्रस्ताव के साथ संरक्षित वनभूमि पर खड़े वृक्षों की संशोधित सूची संलग्न कर ऑनलाइन पार्ट–2 भी संशोधित कर दिया गया है।
4.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल एवं प्रस्तावित वनभूमि की सी0डी0 संलग्न नही है।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल प्रस्तावित वनभूमि की सी0डी0 संलग्न कर दी गयी है।
5.	एन0पी0वी0 की वचनबद्धता में भविष्य में दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई अतिरिक्त धनराशि जमा करने का उल्लेख अंकित नही किया गया है। उल्लेख कर संलग्न करें एवं प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संशोधित वचनबद्धता संलग्न ऑनलाइन पार्ट–2 पर भी अपलोड करें।	एन0पी0वी0 की बढ़ोत्तरी सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। प्रस्ताव की पेज संख्या–58
6.	प्रस्तावक की पावर ऑफ अटार्नी पर अधिकृत सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर को प्रमाणित नही किया गया है।	प्रस्तावक की पावर ऑफ अटार्नी पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित कर संलग्न है। प्रस्ताव की पेज संख्या–27
7.	ऑनलाइन पार्ट–2 के Additional Information Detail में आवश्यक अभिलेख यथा : प्रस्तावित वनभूमि एवं गैर वनभूमि की गणना, मानक शर्ते, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, प्रभागीय दिशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन0पी0वी0 जमा करने की वचनबद्धता,	सम्बन्धित समस्त वॉछित अभिलेख ऑनलाइन पार्ट–2 में अपलोड कर दिये गये है।

	मक डिस्पोजल योजना, एन0पी0वी0 की गणना क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र आदि अभिलेख अपलोड कर ऑनलाइन पार्ट–2 की संशोधित हस्ताक्षतिर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	
8.	प्रस्तावित स्थल टी0टी0जैड0 क्षेत्रान्तर्गत है या नही है? तो सक्षम स्तर से वृक्षों के पातन की अनुमति प्राप्त कर ऑनलाइन पार्ट–2 के Additional Information Detail में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रस्तावित स्थल टी0टी0जैड0 क्षेत्र के अन्तर्गत है। वृक्षों के पातन हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने हेतु मा0 न्यायालय में आई0ए0 सं0–19751/2018 दाखिल कर दी गयी है। अनुमति उपरान्त ही वृक्षों का पातन किया जायेगा इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। प्रस्ताव की पेज संख्या–64
9.	ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–1 (2 व 3) में किमी0 चैनेज उल्लिखित नही है, अंकित करें।	ऑनआलन पार्ट–1 में कि0मी0 अंकित कर पार्ट–1 (संशोधित) संलग्न कर दिया गया है।
10.	प्रस्ताव के साथ संलग्न अधिकतर अभिलेखों पर प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ दिनांक अंकित नही है, अंकित करें।	प्रस्ताव के साथ संलग्न समस्त अभिलेखों पर हस्ताक्षर के साथ तिथि एवं नाम अंकित कर दिया गया है।
11.	प्रस्ताव के साथ कई अभिलेख दो बार संलग्न किये गये है। ऐसे अभिलेखो को प्रस्ताव के पृथक कर दें।	प्रस्ताव में दिये गये डबल अभिलेखों की अलग कर दिया गया है।
12.	उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण कर क्रमवार पृष्ठ संख्या एवं तद्नुसार विषय सूची को अपडेट करने का कष्ट करें।	विषय सूची अपडेट कर दी गयी है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा से प्राप्त प्रस्ताव 03 प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक / समदिनांकित ।

1– प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, ताज ट्रिपेजियम, लोक निर्माण विभाग, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।